बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः—6ए / वि01—1041 / 2020— 853 पटना—15 ,दिनांकः— 15.7.26

सेवा में,

महालेखाकार,
वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय —वित्तीय वर्ष 2026—27 में मुख्य शीर्ष—2215—जल पूर्ति तथा सफाई —उपमुख्य शीर्ष—01—जल पूर्ति—लघु शीर्ष—102—ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम—उपशीर्ष—0106 —मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड— 36—2215011020106 विषय शीर्ष—0106.31.05—मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1.58 लाख रूपये (एक लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेश — स्वीकृत।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अंतर्गत वर्ष 2026—27 में विषयांकित योजना बजट में 79.00 लाख रूपये (उनासी लाख रूपये) मात्र का प्रावधान है। इस राशि का व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के निश्चय "हर घर नल का जल" के तहत गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने एवं अन्य सदृश्य कार्यों के क्रियान्वयन पर किया जाना है। विभागीय संकल्प संख्या—2969 दिनांक—22.12.2017 द्वारा निर्गत संकल्प में "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" के तहत योजना के सूत्रण विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने एवं योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण आदि हेतु सपोर्ट फंड के रूप में 2 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इस हेतु विषयांकित मद में **1.58 लाख रूपये (एक लाख अंठावन हजार रूपये)** मात्र की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. इस पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष—2215—जल पूर्ति तथा सफाई —उपमुख्य शीर्ष—01—जल पूर्ति—लघु शीर्ष—102—ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम—उपशीर्ष—0106 —मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड—36— 2215011020106 विषय शीर्ष—0106.31.05—मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. योजना से संबंधित राशि की निकासी विभागीय विभिन्न स्वीकृत्यादेश तथा आवंटन संख्या—116(ग्रामीण)(आ.) दिनांक — 15/7/2026 के आलोक में की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या—5537, दिनांक—24.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो—02)—सह—निकासी एवं वययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता संख्या—**PNB PLA 006**, विपत्र कोड —K8448001200041 में अंतरण किया जायेगा।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति विभागीय परिपत्र संख्या—2969 दिनांक—22.12.2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 / (वि02) दिनांक—17.04.1998 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
8. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अभय 14.07.26
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– 853 पटना, दिनांक – 15.7.26

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 14.07.26
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–6ए/वि01–1041/2020– 853 पटना, दिनांक – 15.7.26

प्रतिलिपि –महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार, पटना/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त निदेशक (जल जीवन मिशन)/बजट पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/कार्यपालक अभियंता, (मो0–2)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/लेखा शाखा/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/आई0 टी0 मैनेजर/(बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी–6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 14.07.26
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)